भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2692

जिसका उत्तर 22.12.2022 को दिया जाना है

विलंब से चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2692. श्री कमलेश पासवान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) निर्धारित समय से पीछे चल रही राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है और इसके परिणामस्वरुप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ख) उपरोक्त में से कितनी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं को बजटीय अवरोध या अन्य किसी कारण से रोक दिया गया है; और

(ग) इस प्रकार के विलम्ब को रोकने और उक्त परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) देश भर में 719 परियोजनाएं हैं, जहां अनेक राज्यों में लंबे समय तक मानसून, कुछ राज्यों में औसत से अधिक वर्षा, कोविड-19 महामारी, कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि(मुख्य रूप से स्टील), भूमि अधिग्रहण, वैधानिक मंजूरी/अनुमति, उपयोगिता स्थानांतरण, अतिक्रमण हटाने, कानून और व्यवस्था, मिट्टी/गिट्टी की अनुपलब्धता, रियायतग्राही/ठेकेदार की वित्तीय कमी, रियायतग्राही/ठेकेदार के खराब प्रदर्शन आदि से संबंधित मुद्दों/अड़चनों के कारण राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर निर्माण कार्य निर्धीरित समय से पीछे चल रहे हैं।

सभी विलंबित परियोजनाओं को लागत वृद्धि का सामना नहीं करना पड़ता है। बीओटी परियोजनाओं में, विलंब के कारण लागत में कोई वृद्धि नहीं होती है क्योंकि वृद्धि की लागत रियायतग्राही द्वारा वहन की जाती है। अन्य परियोजनाओं में, अनुबंध की शर्तों के अनुसार मूल्य वृद्धि देय है, और मूल्य वृद्धि की वास्तविक राशि और परियोजना लागत में वृद्धि, यदि कोई हो, केवल परियोजना के वास्तविक समापन और बिलों के अंतिम निपटान पर मानी जाती है। हालांकि, यदि देरी ठेकेदार के कारण होती है, तो हर्जाना लगाया जाता है और मूल्य वृद्धि का भुगतान नहीं किया जाता है, और देरी के कारण कोई अतिरिक्त लागत नहीं होती है।

(ख) ऐसी कोई परियोजना नहीं है जो बजटीय बाधाओं के कारण रोकी गई हो। हालांकि, कुछ मामलों में, जहां परियोजनाओं में काफी देरी हो रही है, उन्हें या तो समय से पहले बंद कर दिया गया है या मामला दर मामला आधार पर समाप्त कर दिया गया है और बाद में अलग काम के रूप में फिर से आवंटित किया गया है।

(ग) सरकार ने भूमि अधिग्रहण के मामले में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को सौंपने जैसे विलंब को रोकने, भूमि अधिग्रहण और पर्यावरण मंजूरी को सुव्यवस्थित करने, रेलवे द्वारा जीएडी की मंजूरी के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने, इक्विटी निवेशकों के एग्जिट, प्रीमियम पुनर्निर्धारण, सड़क क्षेत्र के ऋणों का प्रतिभूतिकरण, विवाद समाधान तंत्र में सुधार, "आत्मनिर्भर भारत" के तहत अनुबंध प्रावधानों में छूट के लिए कई कदम उठाए हैं ताकि ठेकेदारों/विकासकर्ताओं के पास उपलब्ध नकदी, विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा, आदि में सुधार किया जा सके।

*****